कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई
उद्यान विभाग

क्र./उद्यान/न.नि./2025/125 | भिलाई,दिनांक 17/4/2025

//रूचि की अभिव्यक्ति//

रूचि की अभिव्यक्ति के तहत नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत 2 उद्यानों को 03 वर्षो के लिए संचालन/संधारण एवं रखरखाव निःशुल्क दिये जाने हेतु पंजीकृत एजेंसी, इच्छुक व्यक्ति/प्राईवेट पार्टनर्स/समूह/एन.जी.ओ./फूल विक्रेता जो (EOI) में उल्लेखित शर्तो के अंतर्गत ऑफर दिनांक 08/05/25 को सायं 5:30 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में वित्तीय ऑफर आमंत्रित किया जाता है। इस कार्य के लिए धरोहर राशि रू. **1000.00** मात्र की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का कार्यपालन अभियंता (उद्यान) नगर पालिक निगम, भिलाई के संयुक्त नाम पर FDR एवं पेनकार्ड की छायाप्रति, पी.डब्लू.डी/संस्था का पंजीयन एवं अन्य समस्त दस्तावेज स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र लिफाफा में डालकर कार्य का नाम, प्रेषक का नाम सहित कार्यपालन अभियंता, (उद्यान विभाग, मुख्य कार्यालय सुपेला) नगर पालिक निगम, भिलाई पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा, अन्य माध्यम मान्य नहीं होगा। ऑफर दिनांक 09/05/25 ...... को प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी। अन्य जानकारी नियम एवं शर्ते नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाईट **www.bhilainagarnigam.com** व संचनालय की वेबसाईट **www.uad.cg.gov.in** एवं चीप्स की वेबसाईट **eproc.cgstate.gov.in** से देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार का संशोधन/सूचना की जानकारी उपरोक्त वेबसाईट में प्रदर्शित की जावेगी।

टीपः– निविदाकर्ता को लिफाफा के उपर उद्यान का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। (उद्यानो की सूची में उल्लेखित अनुसार)

(हस्ताक्षर) 17/4/25
कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

उद्यानों की सूची

क्र.	उद्यान का नाम
1	वार्ड क्रं. 04 नेहरू नगर पूर्व स्टाफ क्वाटर के पीछे उद्यान।
2	वार्ड क्रं. 12 शिक्षक नगर कोहका स्थित बाल उद्यान।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

उद्यान मित्र योजनांतर्गत उद्यानों के रखरखाव/संधारण कार्य हेतु नियम–शर्ते

1. उद्यान के रखरखाव कार्य लगातार 3 वर्षो के लिए होगा। अनुबंध नवीनीकरण करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित होगा।
2. उद्यान अनुबंधकर्ता को देखरेख एवं रखरखाव के लिए सौंपा जायेगा। अतः अनुबंध अवधि में उद्यान को एवं उद्यान में स्थापित संपत्ति की हानि हेतु क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा वहन की जावेगी तथा इस आशय का शपथ पत्र निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के समय देना होगा।
3. उद्यान में प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। समय का निर्धारण नगर पालिक निगम भिलाई करेगा।
4. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा किया गया उद्यानों में व्यय किसी भी स्थिति में आधिपत्य के अधिकार के आधार के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा।
5. कार्य पर लगाये गये श्रमिको का पहचान पत्र अनुबंधकर्ता एजेंसी को देना होगा। अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा रखे गये कर्मचारियो के कार्य समय के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के लिए अनुबंधकर्ता एजेंसी जवाबदार होगा।
6. उद्यान का नवीनतम फोटोग्राफ्स प्रत्येक माह उद्यान विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिससे उद्यान की स्थिति का आंकलन कर अनुबंध निरंतरता पर उचित निर्णय लिया जा सके।
7. प्रभारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशो का पालन करना होगा। उद्यानों का निरीक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर उद्यानों का निरीक्षण किया जा सकेगा व निरीक्षण के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा।
8. पौधो को सुरक्षित रखने एवं आवश्यकता अनुरूप सिंचाई करना, पौधो को जीवित अवस्था में रखने का दायित्व अनुबंधकर्ता एजेंसी का होगा। उद्यानों की साफ सफाई एवं उद्यान को व्यवस्थित रखना होगा। उद्यान का रखरखाव कार्य यदि संतोष जनक या सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार नहीं पाये जाने पर अथवा नियम–शर्तो के उल्लंघन पर एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

9. अनुबंधकर्ता एजेंसी को राशि रू. 1000.00 मात्र का सुरक्षा निधि कार्यपालन अभियंता (उद्यान) नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से आवेदन के साथ एफ.डी.आर. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

10. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा नगर पालिक निगम विज्ञापन नीति एवं शर्तो के अनुसार विज्ञापन का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।

11. उद्यान में कचरा निपटान के लिए खाद निर्माण हेतु कम्पोस्ट पीट/पोर्टेबल पीट का निर्माण करना होगा।

12. यह ध्यान रखा जायेगा की उद्यान में भ्रमण करने वाले लोगो को कहीं पर किसी भी प्रकार का अवरोध न हो।

13. अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा कार्य के संबंध में कोई भी दावा व वाद आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को स्वीकार्य नहीं होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र दुर्ग रहेगा।

14. उद्यान में किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	उद्यान अधिकारी नगर पालिक निगम भिलाई	उपअभियंता नगर पालिक निगम भिलाई